

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 8फ/अनु0का0/2016-17/

लखनऊ: दिनांक: 30/6/2016

:: कार्यालय-ज्ञाप ::

निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित अनुशासन समिति जिसके अन्य सदस्य निदेशक (स्वास्थ्य), निदेशक (चिकित्सा उपचार), वरिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक (भण्डार) थे कि बैठक दिनांक 29-06-2016 जिसमें मेसर्स लाइफ केयर न्यूरो प्रोडक्ट लि0 (Lifecare Neuro Products Ltd) को तीन कमागत (consecutive) कय आदेशों के 50 प्रतिशत तक की आपूर्ति में असफल रहने के आधार पर समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार दर अनुबन्ध के प्रस्तर 32 तथा निविदा विज्ञप्ति 8फ/आर0सी0-671/3071 दिनांक 15-10-2014 के प्रस्तर 13(8) तथा उसमें सँदर्भित एनेकजर.10 के प्रस्तर 14(बी0) के अन्तर्गत मेसर्स लाइफ केयर न्यूरो प्रोडक्ट लि0 को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए आगामी एक वर्ष के लिये समस्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

पत्रांक-8फ/अनु0का0/2016-17/1099(1709) तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्त, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन।
- 7- वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 8- संबंधित फर्म।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 8फ/अनु0का0/2016-17/

लखनऊ: दिनांक: ३०/६ 2016

:: कार्यालय-ज्ञाप ::

निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित अनुशासन समिति जिसके अन्य सदस्य निदेशक (स्वास्थ्य), निदेशक (चिकित्सा उपचार), वरिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक (भण्डार) थे कि बैठक दिनांक 29-06-2016 जिसमें मेसर्स एलूरी फारमुलेशन प्रा0 लि0 (Yeluri Formulations Pvt. Ltd) को तीन कमागत (consecutive) कय आदेशों के 50 प्रतिशत तक की आपूर्ति में असाफल रहने के आधार पर समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार दर अनुबन्ध के प्रस्तर 32 तथा निविदा विज्ञप्ति 8फ/आर0सी0-671/3071 दिनांक 15-10-2014 के प्रस्तर 13(8) तथा उसमें सँदर्भित एनेक्जर.10 के प्रस्तर 14(बी0) के अन्तर्गत मेसर्स एलूरी फारमुलेशन प्रा0 लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए आगामी एक वर्ष के लिये समस्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

पत्रांक-8फ/अनु0का0/2016-17/1960(1 to 8) तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्त, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन।
- 7- वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 8- संबंधित फर्म।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 8फ/अनु0का0/2016-17/

लखनऊ: दिनांक: 3/6/2016

:: कार्यालय-ज्ञाप ::

निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित अनुशासन समिति जिसके अन्य सदस्य निदेशक (स्वास्थ्य), निदेशक (चिकित्सा उपचार), वरिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक (भण्डार) थे कि बैठक दिनांक 29-06-2016 जिसमें मेसर्स क्वेस्ट लेबोरेटरीज, प्रा0 लि0 (Quest Laboratories Pvt. Ltd) को तीन कमागत (consecutive) कय आदेशों के 50 प्रतिशत तक की आपूर्ति में असफल रहने के आधार पर समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार दर अनुबन्ध के प्रस्तर 32 तथा निविदा विज्ञप्ति 8फ/आर0सी0-671/3071 दिनांक 15-10-2014 के प्रस्तर 13(8) तथा उसमें संदर्भित एनेक्जर.10 के प्रस्तर 14(बी0) के अन्तर्गत मेसर्स क्वेस्ट लेबोरेटरीज, प्रा0 लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए आगामी एक वर्ष के लिये समस्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

पत्रांक-8फ/अनु0का0/2016-17/1901(1708) तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्त, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन।
- 7- वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 8- संबंधित फर्म।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 8फ/अनु0का0/2016-17/

लखनऊ: दिनांक: 30/6/2016

:: कार्यालय-ज्ञाप ::

निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित अनुशासन समिति जिसके अन्य सदस्य निदेशक (स्वास्थ्य), निदेशक (चिकित्सा उपचार), वरिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक (भण्डार) थे कि बैठक दिनांक 29-06-2016 जिसमें मेसर्स थेरामैक्स लेबोरेटरीज, (Theramax Laboratories) को तीन कमागत (consecutive) कय आदेशों के 50 प्रतिशत तक की आपूर्ति में असफल रहने के आधार पर समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार दर अनुबन्ध के प्रस्तर 32 तथा निविदा विज्ञप्ति 8फ/आर0सी0-671/3071 दिनांक 15-10-2014 के प्रस्तर 13(8) तथा उसमें संदर्भित एनेक्जर.10 के प्रस्तर 14(बी0) के अन्तर्गत मेसर्स थेरामैक्स लेबोरेटरीज, को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए आगामी एक वर्ष के लिये समस्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

पत्रांक-8फ/अनु0का0/2016-17/1902(108) तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्त, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन।
- 7- वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 8- संबंधित फर्म।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।